



पत्र क्रमांक/बी.एड./प्रवेश/2012-13/ 3407

रायपुर दिनांक 12.07.2012

आदेश

लाल बहादुर शास्त्री शिक्षा महाविद्यालय, बलौदा, जिला-जांजगीर चांपा के प्रबंध समिति भागीरथी शिक्षण और सेवा समिति बलौदा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका W.P.(C) क्रमांक 1295/2012 दायर किया गया है। मान. उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा उक्त याचिका पर दिनांक 17.07.2012 को सुनवाई के दौरान लाल बहादुर शास्त्री शिक्षा महाविद्यालय बलौदा को परिषद् द्वारा आयोजित बी.एड. ऑनलाइन आबंटन प्रक्रिया में शामिल करने का अंतरिम आदेश जारी किया है। साथ ही यह भी निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता महाविद्यालय छात्रों को यह सूचित करें कि महाविद्यालय में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश उक्त याचिका के अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगा।

अतः मा. उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा जारी उक्त याचिका में दिनांक 17.07.2012 को जारी अंतरिम आदेश के परिपालन में परिषद् याचिकाकर्ता संस्था को बी.एड. ऑनलाइन आबंटन प्रक्रिया में शामिल करता है। उक्त संस्था में दिया गया प्रवेश याचिका क्रमांक W.P.(C) 1295/2012 पर जारी अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगा।


(अनिल राय)
संचालक


एस.सी.ई.आर.टी. छ.ग.

पत्र क्रमांक/बी.एड./प्रवेश/2012-13/
प्रतिलिपि -

3408

रायपुर दिनांक 12.07.2012

1. रजिस्ट्रार मा. उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
2. महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय मा. उच्च न्यायालय बिलासपुर।
3. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, इंस भवन, बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली।
4. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस.भवन रायपुर।
5. क्षेत्रीय निर्देशक, एन.सी.टी.ई., WRC मानस भवन, श्यामला हिल्स गोपाल।
6. प्रबंध निदेशक, MKCL, पुणे महाराष्ट्र, उक्त संस्था को ऑनलाइन आबंटन प्रक्रिया में शामिल करे।
7. प्राचार्य, लाल बहादुर शास्त्री शिक्षा महाविद्यालय, बलौदा, जिला-जांजगीर चांपा।


संचालक
एस.सी.ई.आर.टी. छ.ग.